भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 2155
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क

2155. **एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अगस्त 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव में तीव्र वृद्धि पर ध्यान दिया है, जब अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का प्रशुल्क लगाने की घोषणा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रशुल्कों से अमरीका को भारतीय निर्यात का कितना कुल मूल्य प्रभावित हुआ है तथा भारत की अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) इन टैरिफ उपायों का समाधान करने या कम करने के लिए विदेश मंत्रालय ने क्या राजनयिक बातचीत या वार्ता शुरू की है और इन चर्चाओं की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या भारत ने प्रतिपूरक अथवा प्रतिशोधात्मक व्यापार-उपायों की मांग की है अथवा करने की योजना बना रहा है;

(ङ) यह भारत की व्यापक विदेश नीति और व्यापार रणनीति के साथ किस प्रकार संरेखित है; और

(च) सरकार को अमेरिका के साथ व्यापार संबंध कब तक सामान्य होने की अपेक्षा है और इस बारे में पहली प्रगति रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक की जाएगी?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से च) 31 जुलाई 2025 को, अमेरिका ने भारत सहित अधिकांश देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन प्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारस्परिक शुल्क लगाए। इसके अलावा, 27 अगस्त 2025 को, भारत द्वारा रूसी तेल के आयात के जवाब में आईईईपीए के तहत चुनिंदा भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% यथामूल्य शुल्क लगाया गया । इसके साथ ही, अमेरिका ने व्यापार विस्तार

अधिनियम की धारा 232 के तहत इस्पात और एल्यूमीनियम, तांबा, गद्दीदार फर्नीचर और किचन कैबिनेट, सॉफ्टवुड और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर कई क्षेत्र-विशिष्ट प्रशुल्क लगाए हैं।

तथापि, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, बुलियन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती धातुओं, महत्वपूर्ण खनिजों, रेजिन और प्लास्टिक, कृषि उत्पादों और आईटी सेवाओं सहित कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। 2024 के व्यापार डाटा के आधार पर, अमेरिका को होने वाले भारत के कुल लगभग 86.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात में से अनुमानित 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन अतिरिक्त प्रशुल्कों के दायरे में आता है।

सरकार अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों के प्रभावों के संबंध में भारतीय निर्यातकों और उद्योग की प्रतिक्रिया जानने के लिए लगातार उनके संपर्क में है। नए निर्यात प्रोत्साहन मिशन, भारतीय रिज़र्व बैंक के व्यापार-सुविधा प्रावधानों और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जैसी पहलों के माध्यम से निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं, ताकि मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के उपयोग में सुधार किया जा सके और नए (एफटीए) पर वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी बहु-क्षेत्रीय भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार को शीघ्र संपन्न करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ निरंतर वार्ता भी शामिल है।

*****